

[Shri George Fernandes]

the attention of the House to one more instance of the way the National Security Act is used to harass and brow-beat trade union workers.

Mr S. C. Datta, driver and Mr. Newton Eliza, shunter are active trade union workers among the loco running staff at Ajni near Nagpur. Apparently, orders for their detention under the National Security Act were issued on January 28, 1981 along with similar detention orders for other workers. This was at the time of the loco running staff strike. However, for reasons best known to the police, they were not arrested.

The strike of the loco running staff was called off towards the end of February 1981. Both Mr. Datta and Mr. Eliza were allowed to resume duty on 6th and 7th of June 1981 respectively. They were kept attached to the office, and not posted on running duty.

Now, two and a half months after they resumed duty, Mr. Datta has been detained on 26th August and Mr. Eliza on 28th August, under the National Security Act.

The action of whosoever it is that ordered their arrest is patently *mala fide* and needs to be condemned in the strongest possible language.

I urge that the Home Minister take steps to order the immediate release of these two railwaymen.

(iv) NEED FOR DEVELOPMENT OF IRRIGATION SYSTEM IN CHHATISGARH AREA OF MADHYA PRADESH.

श्री कंधर भूषण (रायपुर) : मान्यवर मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है जहाँ पर आदिवासियों एवं हरिजनों की संख्या अधिक है आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। विगत कुछ वर्षों से उस क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है। उस क्षेत्र के

ग्रामीण खेतिहर मजदूर मजदूरी की तलाश में छत्तीसगढ़ छोड़ कर पलायन कर जाते हैं। उन्हें दूरस्थ स्थानों में बहुत कठिन स्थिति में जीवन बिताना पड़ रहा है। मजदूरी का फायदा उठा कर मजदूर भरती करने वाले दलाल पैदा हो गए हैं। वे उन्हें उचित मजदूरी की लालच बता सुपरिधार ले जाते हैं तथा ठेकेदारों के पास बंधक मजदूर के रूप में बंधक रख देते हैं। उन्हें जीवन यापन के लिए उन प्रदेशों में ठेकेदारों के यहाँ आजीवन बंधक रहना पड़ता है। उन्हें वहाँ नाममात्र की मजदूरी मिलती है। घर वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें डरा धमका कर रखा जाता है तथा उनके मजदूरी के जैसे उन्हें दिए नहीं जाते। उनके जीवन रक्षा का प्रबन्ध वहाँ की सरकार किसी प्रकार की नहीं कर रही है। न ही उन्हें मुक्त करने की व्यवस्था कर रही है और न ही उन्हें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अन्तर्गत वापस लाने तथा उनकी जीविकोपार्जन की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पुनः अकाल की स्थिति है। अतः उस क्षेत्र के खेतिहर मजदूर पलायन करना प्रारम्भ कर दिए हैं। इसलिए शासन का ध्यान छत्तीसगढ़ की अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उस क्षेत्र के प्रस्तावित योजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ करें तथा वहाँ उचित मजदूरी की व्यवस्था करे तथा छत्तीसगढ़ के मजदूर जो देश के विभिन्न हिस्सों में बंधक मजदूर बन कर जी रहे हैं विशेषकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उन्हें शीघ्र मुक्त करावें।

(v) NEED FOR PAYMENT OF PENSIONS TO EX-SERVICEMEN AND FREEDOM FIGHTERS BY MONEY ORDERS.

श्री महावीर प्रसाद (वांशगांव) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान भूतपूर्व सैनिकों